Published Date	Sunday 24th November, 2019	Publication	Hindustan

बैंक लॉकर में रखे आभूषणों को दें बीमा का सुरक्षा कवच

पैसा बोलता है

हम में से बहुत सारे लोग बैंक लॉकर में सोने के आभूषण और सामान रखते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि बैंक लॉकर में रखा सामान घर के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन, क्या आपको पता है कि लॉकर से सामान चोरी हो जाने पर बैंक इसकी गारंटी नहीं देते हैं। बैंकों का इसके पीछे तर्क होता है कि उसे लॉकर में रखे सामान की जानकारी नहीं होती है। इसलिए गारंटी नहीं दे सकता है। एक क्षण के लिए यह जानकर आप चिंतित हो सकते हैं लेकिन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बैंक लॉकर का बीमा कराकर पूरी तरह से चिंता से मुक्त हो सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।

देशभर में बढ़ी चोरी की घटना

देशभर में बैंक लॉकर से चोरी की घटना बढ़ी है। मुंबई में एक साल पहले कुछ चोरों ने बैंक में सुरंग बनाकर करीब 30 लॉकरों को साफ कर दिया था। इसी तरह के मामले देश के कई अन्य हिस्सों से भी सामने आ चुके हैं। इसको देखते हुए बीमा कंपनियों ने बैंक लॉकर में रखे सामान और ज्वैलरी का बीमा देना शुरू किया है। बीमा कंपनियां इसकी पेशकश 'बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी' के तौर पर कर रही हैं।

महंगी वस्तुओं की सूची बतानी होगी

बैंक लॉकर का बीमा लेने के लिए आपको बीमा कंपनी को उसमें रखी महंगी वस्तुओं की सूची बतानी होगी। उनके मूल्य को बताने की जरूरत नहीं होगी। मूल्य बताने की जरूरत तभी होगी अगर बीमा की राशि 40 लाख रुपये से ज्यादा है। कंपनी की यह बीमा पॉलिसी दुर्घटना, चोरी, आतंकी वारदात या बैंक की गलती से हुए नुकसान को कवर करती है।

ये बीमा कंपनियां दे रही कवर

बैंक लॉकर का बीमा कराने की सुविधा टाटा एआईजी और इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं। टाटा एआईजी अपने ग्राहकों को बैंक लॉकर या घर में रखे सोने की ज्वैलरी के साथ पहने हुए गहने का भी कवर मुहैया करा रही है। वहीं इफ्को टोकियो बैंक लॉकर में रखी ज्वैलरी और कीमती सामान का भी बीमा दे रही है।

300 रुपये से प्रीमियम की शुरुआत

इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस की इस बीमा पेशकश के तहत आपको 300 रुपये 2500 रुपये का प्रीमियम चुकाना होगा। इसके तहत आपको तीन लाख रुपये से 40 लाख रुपये का कवर दिया जाएगा। इफ्को टोकियो सिर्फ ज्वैलरी की ही नहीं बल्कि बल्कि जरूरी दस्तावेजों का भी बीमा कवर दे रही है। इसके तहत ज्वैलरी या कागजात खो जाने पर उसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी।

बीमा कराकर चिंता से मुक्त रहें

रीन्यूबाईडॉटकॉम के सह-संस्थापक, इंद्रनील चटर्जी के अनुसार, अगर बैंक लॉकर में बहुत ही जरूरी दस्तावेज, सामग्री या मूल्यवान ज्वैलरी है तो बीमा कवर ले लेना चाहिए। बैंक लॉकर का बीमा लेना काफी आसान है। इसके तहत आपको लॉकर में रखे सामान के कुल मूल्य की घोषणा करनी है। इसके बाद बीमा कंपनी आपको कवर दे देती है। बीमा कवर का प्रीमियम भी बहुत अधिक नहीं है। यानी आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। हालांकि, कई वित्तीय योजनाकारों का मानना है कि लॉकर से चोरी होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए बीमा लेना जरूरी नहीं है। फिर भी यह जोखिम नहीं लेना चाहिए।

सालाना शुल्क देना होगा

बैंक लॉकर के लिए आपको फीस चुकानी पड़ती है। यह फीस साल में एक बार लगती है। फीस की रकम लॉकर के साइज पर निर्भर करता है। बड़े लॉकर पर ज्यादा फीस लगती है। सरकारी बैंक एक लॉकर के लिए सालाना 1,000 से 7,000 रुपये के बीच फीस लेते हैं। प्राइवेट बैंक 3,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच फीस लेते हैं।

जरूरत के अनुसार प्रीमियम का चयन

बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकर का बीमा जरूरत के अनुसार चयन करना चाहिए। कभी भी बीमा कंपनी के कहे अनुसार बीमा कवर नहीं लेना चाहिए। जौहरी से गहने का मूल्यांकन कराकर ही कवर की राशि का चयन करना चाहिए।

15 दिन में दावा निपटान

दावा करने के लिए, आपको दावा फॉर्म के साथ बैंक के जरिये दर्ज कराई गई प्राथमिकी (एफआईआर) की प्रति जमा करानी होगी। दावे को बीमित राशि के बाजार मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। बीमा कंपनी के पास संबंधित दस्तावेज जमा कराने के बाद, दावे के निपटान में 15 दिन लगते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में इससे अधिक दिन भी लग सकते हैं।